जनशक्ति नियोजन प्रभाग

जनशक्ति नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ की गयी थी। इसका कार्य ऐसे अध्ययनों को करना है, जिनसे प्रदेश के विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्मिकों की उपलब्धता समय से एवं आवश्यकतानुसार सुनिश्चित हो सके तथा बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु सुझाव दिये जा सकें। साथ ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुधार लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने तथा उपलब्ध जनशक्ति का विकास कार्यों में अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कर मानव संसाधन विकास में योगदान प्रदान करना है। प्रभाग द्वारा किये गये अध्ययनों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

1- महत्वपूर्ण श्रेणी के तकनीकी कार्मिकों का स्टॉक तथा मॉग एवं पूर्ति का आंकलन।

2- विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदेश की जनशक्ति का ऑकलन, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन।

3- विकास कार्यक्रमों का रोजगार के दृष्टिकोण से विश्लेषण तथा रोजगारपरक योजनाओं का लाभार्थियों की आय एवं रोजगार पर प्रभाव।

4- प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थाओं की उपयुक्तता तथा प्रशिक्षित जनशक्ति का उपयोग।

संगठनात्मक ढाँचा:-

इस प्रभाग के कार्यों का सम्पादन निदेशक (तकनीकी) के मार्ग निर्देशन में किया जाता है। उनकी सहायतार्थ संयुक्त निदेशक के दो वरिष्ठ शोध अधिकारी के तीन तथा शोध अधिकारी के छः अपर सांख्यिकीय अधिकारी के 10 राजपत्रित पद तथा सहायक साख्यिकीय अधिकारी के दो अराजपत्रित (तकनीकी) पद सृजित हैं। उक्त के अतिरिक्त अनुसचिवीय संवर्ग के तेरह तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल तीन पद सृजित है।

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान			कुल स्वीकृत पद (संख्या)	कुल भरे पद	भरे पद (संख्या में)				
		वेतन-बैण्ड (रू0 में)	ग्रेड-वेतन (रू0 में)	लेवल			अनारक्षित	अनु0जा0/ अनु0 ज0 जा0	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0 एस0)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	अ-राजपत्रित										
1	निदेशक	37400-67000	8700	13	1	-	-	-	-	-	-
2	संयुक्त निदेशक	15600-39100	7600	12	2	2	-	1	1	-	2*
3	वरिष्ठ शोध अधिकारी	15600-39100	6600	11	3	2	1	-	1	-	2
4	शोध अधिकारी	15600-39100	5400	10	6	4	3	1	-	-	4
5	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4600	7	10	2	2	-	-	-	2
	योग				22	11	6	2	3	-	11
	ब-अराजपत्रित										
1	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4200	6	2	1	1	-	-	-	1
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300-34800	4200	6	1	1	-	1	-	-	1
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	9300-34800	4600	7	5	-	-	-	-	-	-
4	आशुलिपिक	5200-20200	2800	5	3	1	1	-	-	-	1
5	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	5	1	1	1	-	-	-	1

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान			कुल स्वीकृत पद (संख्या)	कुल भरे पद	भरे पद (संख्या में)				
		वेतन-बैण्ड (रू0 में)	ग्रेड-वेतन (रू0 में)	लेवल			अनारक्षित	अनु0जा0/ अनु0 ज0 जा0	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0 एस0)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	3	2	-	-	-	-	-	-
7	मानचित्रकार (प्रारूपकार)	5200-20200	2800	5	-	1	1	-	-	-	1
8	चपरासी	5200-20200	1800	1	3	1	-	1	-	-	1
9	चालक	5200-20200	1900	2	1	1	-	-	1	-	1*
	योग				13	7	4	2	1	-	7
	राजपत्रित				22	11	6	2	3	-	11
	अराजपत्रित				13	7	4	2	1	-	7
	योग				35	18	10	4	4	-	18

<u>अद्धतन कार्यों का विवरण:-</u>

1- केन्द्र सरकार की अपेक्षानुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाईजेशन, आधार के लिंकेज का अनुश्रवण तथा उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल पर डी0बी0टी0 योजनाओं को ऑनबोर्ड कर मासिक सूचनायें केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराना तथा चयनित केन्द्र पोषित योजनाओं की पाक्षिक एवं क्रमिक प्रगति की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराना।

2- आयु वर्ग 0-18 वर्ष में आधार जनरेशन में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धी कार्यवाही।

3- केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर उपलब्ध करायी जा रही केन्द्र पोषित योजनाओं का उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाना।

4- उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल पर राज्य सरकार की योजनाओं को ऑनबोर्ड किया जाना।

5- उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल को डी0बी0टी0 से आच्छादित योजनाओं हेतु सम्बन्धित विभागों को एन0आई0एस0 पोर्टल से लिंक किया जाना।

6- उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम-2017 के अन्तर्गत योजनाओं, सेवाओं आदि में आधार के उपयोग के सम्बन्ध में विभागों द्वारा आधार प्रमाणीकरण कराने हेतु अधिसूचना निर्गत कराये जाने से सम्बन्धित अनुश्रवण एवं परामर्श प्रदान किया जाना।

7- डी0बी0टी0 योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों के आधार बेस्ड ऑथेन्टीकेशन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही।

8- फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना का कार्य।

9- जीरो पॉवर्टी- उत्तर प्रदेश अभियान **(Zero Poverty-Uttar Pradesh Abhiyaan)** कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य।

10- एन0आई0सी0 के माध्यम से एन0जी0ओ0 वेब पोर्टल का निर्माण करना।

11- एन0जी0ओ0 वेब पोर्टल/वेबसाइट तैयार होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार स्वयंसेवी संस्थाओं को ऑनलाइन सूचीबद्ध एवं अन्य कार्यवाही करना।

12- कार्यदायी विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी के रुप में कार्य।

13- विभागीय कार्यो के लिये कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल-मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की सेवायें प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्था (कन्सल्टेंसी फर्म्स) का इम्पैनलमेन्ट किये जाने से सम्बन्धी कार्य।

14- प्रदेश के विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट किये जाने से सम्बन्धी कार्य।

15- इण्डिया कोड पोर्टल पर सभी कानूनी दस्तावेज़ों और अधिनियमों की अद्यतनता सुनिश्चित करना, ताकि नियोजन विभाग से संबंधित सभी दस्तावेज़ सही और उपलब्ध हों। विधायी विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना, ताकि नए अधिनियमों, संशोधनों और सरकारी अधिसूचनाओं को समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जा सके और उन्हें सही तरीके से वर्गीकृत किया जा सके। नियोजन विभाग और विधायी विभाग के उपयोगकर्ताओं को पोर्टल पर विभिन्न कानूनों और अधिनियमों की खोज और उपयोग में सहायता प्रदान करना। इण्डिया कोड पोर्टल के तकनीकी संचालन और सुचारू कार्यप्रवाह की निगरानी करना, ताकि नियोजन विभाग और विधेय विभाग के बीच दस्तावेज़ों और सूचनाओं की प्राप्ति में कोई बाधा न हो।

16- ईएमडी मैनेजर, नए कर्मचारियों के लिए डिजिटल सिग्नेचर जारी करना और उसकी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना। ई-ऑफिस प्रणाली से संबंधित सभी तकनीकी कार्यों का प्रबंधन और निगरानी करना। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और ई-फाइलिंग के संचालन में सहायता प्रदान करना। ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर सभी उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का समाधान और समर्थन सुनिश्चित करना।

17- सरप्लस स्टाफ पूल सम्बन्धी कार्य/प्रदेश के विभिन्न विभागों के अनुपयोगी स्टाफ को अन्य विभागों में समायोजित किये जाने सम्बन्धी कार्य।

18- शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य प्रकीर्ण कार्यों का निष्पादन।

19- राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य-विवरण वर्ष 2025-2026